



राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
NCDC
Assisting Cooperatives. Always!
सहकारियों की सहायता में सदैव तत्पर

NATIONAL COOPERATIVE DEVELOPMENT CORPORATION

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Cooperation, Govt. of India
क्षेत्रीय निदेशालय - भोपाल



दूरभाष: 0755-4902392

फैक्स: 0755-4902397

ई-मेल: ro.bhopal@ncdc.in; वेबसाइट: www.ncdc.in

ए-8, तीसरी मंजिल, प्लेटिनम प्लाजा,

टी. टी. नगर, भोपाल,

मध्य प्रदेश - 462003

प्राधिकृत अधिकारी का विवरण: सुश्री इन्द्रजीत कौर, क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) ए8, तीसरी मंजिल, प्लेटिनम प्लाजा, साउथ टी.टी नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश - 462003, मोबाईल नं. 9311765335, ई-मेल आई डी : ro.bhopal@ncdc.in

सरफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ

अचल संपत्ति की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतदद्वारा आम जनता को तथा विशेष रूप से उधारकर्ताओं/ बंधककर्ताओं को सूचित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित संपत्तियाँ, जो सुरक्षित ऋणदाता के पास बंधक/प्रभारित हैं तथा जिनका कब्जा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, सुरक्षित ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, उन्हें नीचे उल्लिखित उधारकर्ता संगठन, अध्यक्ष एवं बंधककर्ताओं से सुरक्षित ऋणदाता की बकाया राशि की वसूली हेतु ई-नीलामी के माध्यम से दिनांक 29.04.2026 को "जहाँ है, जैसा है, जो है जैसा है, जो भी है तथा बिना किसी सहारे के" के आधार पर बेचा जाएगा।

उधारकर्ता संगठन, निदेशक तथा बंधककर्ता के नाम	बिक्री/नीलामी हेतु सुरक्षित संपत्तियों का विवरण															
<p>उधारकर्ता:: ताप्ती बीज उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड, हिवरखेड़, मूलताई, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश</p> <p>अध्यक्ष/प्रबंधक:: श्री रामभाऊ धोते (M) 9340092117, 7898588103</p>	<p>परिसंपत्ति का वह संपूर्ण भाग और हिस्सा, जो ग्राम सावगी, तहसील मुलताई, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश में स्थित है; मुलताई के पंजीकरण उप-जिले और जिला बैतूल, मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है; जिसका सर्वे परिसंपत्ति क्रमांक 1/4, PH. No. 102, RNM-MASOD है, और जिसका क्षेत्रफल 0.081 हेक्टेयर है; यह संपत्ति ग्राम सावंगी, तहसील मुलताई, जिला बैतूल की भूमि और उस पर स्थित संरचनाओं सहित है।</p> <p>संपत्ति की सीमाओं का विवरण:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>दिशा</th> <th>दस्तावेज़ के अनुसार</th> <th>वास्तविक के अनुसार</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>उत्तर</td> <td>बटनी बाई की भूमि</td> <td>सड़क, फिर बटनी बाई की भूमि</td> </tr> <tr> <td>दक्षिण</td> <td>पांडुरंग राजा की भूमि</td> <td>पांडुरंग राजा की भूमि</td> </tr> <tr> <td>पूर्व</td> <td>मधु और नत्थू की भूमि</td> <td>मधु और नत्थू की भूमि</td> </tr> <tr> <td>पश्चिम</td> <td>संतोष मारोती की भूमि</td> <td>संतोष मारोती की भूमि</td> </tr> </tbody> </table> <p>मांग सूचना (डिमांड नोटिस) दिनांक 14.03.2024 के अंतर्गत</p>	दिशा	दस्तावेज़ के अनुसार	वास्तविक के अनुसार	उत्तर	बटनी बाई की भूमि	सड़क, फिर बटनी बाई की भूमि	दक्षिण	पांडुरंग राजा की भूमि	पांडुरंग राजा की भूमि	पूर्व	मधु और नत्थू की भूमि	मधु और नत्थू की भूमि	पश्चिम	संतोष मारोती की भूमि	संतोष मारोती की भूमि
दिशा	दस्तावेज़ के अनुसार	वास्तविक के अनुसार														
उत्तर	बटनी बाई की भूमि	सड़क, फिर बटनी बाई की भूमि														
दक्षिण	पांडुरंग राजा की भूमि	पांडुरंग राजा की भूमि														
पूर्व	मधु और नत्थू की भूमि	मधु और नत्थू की भूमि														
पश्चिम	संतोष मारोती की भूमि	संतोष मारोती की भूमि														

मांग नोटिस तिथि तथा राशि	₹6,32,112/- (छह लाख बत्तीस हजार एक सौ बारह रुपये मात्र) की राशि तथा उस पर देय अतिरिक्त ब्याज एवं अन्य प्रभार देय थे । दिनांक 10.03.2026 तक देय वर्तमान बकाया राशि ₹7,91,241/- (सात लाख इकानवे हजार दो सौ इकतालीस रुपये मात्र) है, जिस पर आगे भी देय ब्याज एवं अन्य प्रभार राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) को उधारकर्ता द्वारा भुगतान किए जाने हैं ।
कब्जा दिनांक एवं कब्जे का प्रकार	07.04.2025(प्रतीकात्मक कब्जा)
आरक्षित मूल्य	₹13,05,000/- (तेरह लाख पाँच हजार रुपये मात्र)
बयाना राशि (E.M.D.)	₹1,30,500/- (एक लाख तीस हजार पाँच सौ रुपये मात्र)
बोली वर्धमान मूल्य	₹10,000/- (दस हजार रुपये मात्र)
ई-नीलामी की तिथि एवं समय	दिनांक 29.04.2026. को पूर्वाह्न 11.00 से अपराह्न 01.00 बजे तक
निरीक्षण की तिथि एवं समय	दिनांक 21.04.2026 को पूर्वाह्न 11.00 से अपराह्न 4.00 बजे तक
नीलामी/बोली केवल वेबसाइट https://sarfaesi.auctiontiger.net के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रत्येक बार 5 (पाँच) मिनट की अवधि का असीमित विस्तार किया जाएगा।	

- उपर्युक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री “जहाँ है, जैसी है, जो भी है तथा बिना किसी प्रत्याभूति के (As is where is, As is what is, Whatever there is & Without Recourse)” के आधार पर की जाएगी तथा इन्हें ऊपर उल्लिखित आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेचा जाएगा ।
- बोली प्रस्तुत करने से पूर्व, बोलीदाता बिक्री से संबंधित जानकारी, नियम एवं शर्तें, बोली प्रपत्र तथा बोली/प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी हेतु कृपया उपर्युक्त पते/संपर्क नंबर पर संपर्क करें । ई-ऑक्शन में हिस्सा लेकर, बिडर्स सिक्कोर्ड एसेट की शर्तें, विवरण या शीर्षक/अधिकार के बारे में सभी आपत्तियों को छोड़ देते हैं ।
- बोलीदाताओं को संबंधित सुरक्षित परिसंपत्तियों के संबंध में अधिकार, स्वामित्व, हित तथा देय बकाया राशि के विषय में स्वयं को आश्वस्त कर लेना चाहिए । बोली प्रस्तुत करने के पश्चात किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा ।
- सशर्त बोलियाँ अमान्य मानी जाएंगी । बोली प्रस्तुत करने के पश्चात किसी प्रकार का संशोधन अथवा पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा ।
- प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार किसी प्रभार की जानकारी उपलब्ध नहीं है, तथापि बोलीदाता स्वतंत्र रूप से जांच करें । ई-नीलामी सूचना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा किसी प्रकार का अभ्यावेदन (representation) नहीं है । सुरक्षित परिसंपत्तियों का विक्रय सभी विद्यमान एवं भावी प्रभारों सहित किया जा रहा है, चाहे वे ज्ञात हों या अज्ञात । प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता किसी भी तृतीय पक्ष के दावे/अधिकार/देयताओं हेतु उत्तरदायी नहीं होंगे ।
- स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, हस्तांतरण शुल्क एवं अन्य संबंधित व्यय पूर्णतः क्रेता द्वारा वहन किए जाएंगे ।
- सुरक्षित परिसंपत्तियों से संबंधित सभी वैधानिक एवं अवैधानिक देयताएं, कर, दरें, आकलन एवं अन्य प्रभार क्रेता द्वारा वहन किए जाएंगे ।
- बोलीदाता ऑनलाइन बोली प्रशिक्षण/सहायता E-Procurement Technologies Ltd. (AuctionTiger) से प्राप्त कर सकते हैं। विस्तृत शर्तें <https://sarfaesi.auctiontiger.net> तथा <https://www.ncdc.in> पर उपलब्ध हैं । संपर्क सूत्र: श्री मौलिक श्रीमाली -9173528727 / 9265562818 / 9265562819 / 9265562821, maulik.shrimali@auctiontiger.net or support@auctiontiger.net .

9. बयाना राशि (EMD) एवं KYC दस्तावेज अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 28.04.2026 को अपराह्न 06:00 बजे तक प्राप्त हो जाने चाहिए ।
10. बोली मूल्य आरक्षित मूल्य से अधिक होना चाहिए तथा वृद्धिशील बोली ₹10,000/- (दस हजार रुपये मात्र) के गुणकों में होगी ।
11. बयाना राशि (EMD) RTGS/NEFT के माध्यम से खाता संख्या 32164052874, IFSC SBIN0004298, State Bank of India, कमर्शियल शाखा, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली में जमा की जाएगी ।
12. सफल बोलीदाता ई-नीलामी में उद्धृत अंतिम बोली मूल्य बिना किसी नई शर्त के प्रस्तुत करेगा । बोली राशि का 25% (EMD सहित) उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस तक निर्दिष्ट SBI बैंक संग्रह खाते : 32164052874 IFSC: SBIN0004298, खाता का नाम - National Cooperative Development Corporation, में जमा करना होगा । निर्धारित समय में 25% राशि जमा न करने पर EMD बिना किसी सूचना के जब्त कर लिया जाएगा ।
13. शेष 75% राशि विक्रय की पुष्टि के 15 दिनों के भीतर अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित रूप से स्वीकृत विस्तारित अवधि में जमा करनी होगी । ऐसा न करने पर बिना किसी नोटिस के जमा की गई पूरी राशि जब्त कर ली जाएगी और सिक्योरिटी एसेट को फिर से बेच दिया जाएगा ।
14. विक्रय पुष्टि सलाह (सेल कन्फर्मेशन एडवाइस) संतोषजनक KYC सत्यापन एवं औपचारिकताओं की पूर्ति पर जारी की जाएगी । जब्ती की स्थिति में डिफॉल्ट करने वाले बोलीदाता का संपत्ति या जब्त राशि पर कोई दावा नहीं होगा ।
15. असफल बोलीदाताओं की EMD विक्रय प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात बिना ब्याज, लागत या अन्य शुल्क के वापस कर दी जाएगी।
16. विक्रय प्रमाणपत्र पूर्ण विक्रय मूल्य प्राप्त होने एवं विक्रय की पुष्टि के पश्चात केवल सफल बोलीदाता के नाम से ही जारी किया जाएगा।
17. विक्रय, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरैस्ट अधिनियम, 2002 (SARFAESI Act) तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अधीन होगा।
18. सक्षम न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश की स्थिति में नीलामी बिना पूर्व सूचना के स्थगित या निरस्त की जा सकती है तथा प्रतिभागियों को किसी प्रकार का क्षतिपूर्ति दावा देय नहीं होगा ।
19. बोली, EMD, पात्रता या शर्तों की व्याख्या से संबंधित किसी विवाद की स्थिति में प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा । एनसीडीसी अपने विवेक से विक्रय निरस्त कर पुनः नीलामी कर सकता है ।
20. केवल इच्छुक बोलीदाता अथवा उनके विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि ही नीलामी में भाग ले सकेंगे । प्राधिकरण पत्र बोली के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
21. उधारकर्ता संस्था, उसके निदेशक एवं बंधककर्ता नीलामी में भाग लेने के पात्र होंगे ।
22. विक्रय प्राधिकृत अधिकारी की पुष्टि के अधीन होगा ।
23. प्राधिकृत अधिकारी को किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा बिना कारण बताए नीलामी को स्थगित/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है ।
24. सफल बोलीदाता आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194-IA के अंतर्गत 1% टीडी एस का भुगतान करेगा तथा उसका प्रमाण प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेगा ।

विशेष निर्देश एवं सावधानी

बोलीदाताओं को अपने हित में अंतिम मिनट/सेकंड में बोली लगाने से बचना चाहिए । राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अथवा सेवा प्रदाता किसी भी चूक/विफलता (जैसे इंटरनेट या विद्युत आपूर्ति बाधित होना आदि) हेतु उत्तरदायी नहीं होंगे । ऐसी आकस्मिक परिस्थितियों से बचाव हेतु बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे बैंक-अप विद्युत आपूर्ति सहित सभी आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें ताकि वे नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें ।

दिनांक: 27.03.2026

स्थान : भोपाल

SD/-
प्राधिकृत अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल
सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम